संo— / ।।(2)—2019—17(06)/2015

प्रेषक,

डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग—2 देहरादून, दिनांक, 09 सितम्बर, 2019

विषयः— जमरानी बांध परियोजना मद के अन्तर्गत पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0—1548/मु0अ0वि0/बजट/बी—1/पुनर्विनियोग, दिनांक 10.07.2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जमरानी बांध परियोजना की डी0पी0आर0, पर्यावरण स्वीकृति हेतु वॉयन्ट्स कन्सलटेन्सी, डूब क्षेत्र के सर्वे कार्य एवं कैचमेन्ट एरिया ट्रिटमेन्ट प्लान कार्यों को समयान्तर्गत पूर्ण किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2018—19 में रू0 4729.28 लाख (रू0 सैंतालीस करोड, उन्तीस लाख, अट्ठाईस हजार मात्र) की धनराशि संलग्न बी0एम0—09 (प्रपत्र) में उल्लिखित विवरणानुसार अनुदानान्तर्गत बचतों से पुनर्विनियोग कर व्यय हेतु निम्न प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:—

(i) सम्बन्धित धनराशि का व्यय प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत किया जाय, जिसके लिए स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(ii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iii) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

(iv) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय—समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(v) जहॉ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वेज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(vi) प्रमुख अभियन्ता आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण बी0एम0—10 पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(vii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.............02

(viii) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ix) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2020 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(x) आवंटित धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। यदि आवंटित धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि समर्पित होगी तो इस सम्बन्ध में सम्बन्धित अभियन्ता का उत्तरदायित्व निर्धारित कर नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में अनुदान संख्या–20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–01–जमरानी बांध परियोजना–51–निर्माण–01–अन्य रख–रखाब–01 परियोजना प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास–24–बृहद् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 276/XXVII(2)/2019, दिनांक– 06 सितम्बर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक–बी0एम0–09 (01) (पुनर्विनियोग प्रपत्र)।

भवदीय,

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

संख्या– 977(1)/ II(2)–2019–17(06)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कोलागढ रोड, दे0दून ।
2– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3– निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/नैनीताल।
5– वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
6– नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9– वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, देहरादून।
10– सम्बन्धित सिंचाई खण्ड द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई, उत्तराखण्ड।
11– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव।